न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 04/2018

1. लाधुराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र नेकीराम जाति धाणक निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. मोमनराम पुत्र गुलजारीलाल जाति धाणक निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत भंगूली तहसील नोहर।
4. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

निगरानीधीन निर्णय दिनांक 10.01.2018 अपील स0 01/2012 प्रविष्ठि दिनांक 2.02.2012 बअनवानी ओमप्रकाश आदि बनाम लाधुराम आदि

उपस्थितिः– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 25.03.2021

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. निगरानीधीन निर्णय दिनांक 10.01.2018 अपील स0 1/2012 प्रविष्ठि दिनांक 02.02.2012 बअनवानी ओमप्रकाश आदि बनाम लाधुराम आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर विधि की अवहेलना में पारित किया गया है तथा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन किये बिना एक तरफा व मनमाने तौर से पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
2. अप्रार्थी स0 1 व 2 ने ग्राम पंचायत मेघाना तहसील नोहर के द्वारा सार्वजनिक चौगान का वर्ष 1981 पटटा जारी करने की प्रकिया बताई गंई है। करीब 37 वर्ष तक केवल प्रकिया जारी नही रह सकती उक्त 37 वर्षो में उक्त सार्वजनिक जगह का कोई पटटा नही बना और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के पास था फिर मातहत अदालत ने सार्वजनिक चौकी जगह का हवाला देकर करके 60 गुणा 60 फुट दिनांक 11.09.1990 को जारी पटटा जो प्रार्थी स0 1 के पक्ष में था कतई गलत तौर से खारीज किया गया है। उक्त पटटा प्रार्थी के पक्ष में विधि सम्मत जारी किया गया है तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थन पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उक्त पटटा जारी किया गया है तथा ग्राम खोपड़ा के हरिजन मोहल्ला में कोई सार्वजनिक चौगान नही है एव ना ही इसका कोई पटटा है अपीलाधीन पटटा मिसल स0 13 दिनांक 26.08.1987 को कायम की जाकर विकय राशि अदा होने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11.09.1990 को 60 गुणा 60 फुट का पटटा नियमानुसार जारी किया गया है। उक्त भूमि आबादी भूमि है जिस पर प्रार्थी के पक्ष में पटटा सही तौर से जारी किया गया है परन्तु मातहत अदालत ने उपरोक्त कानुनी तथ्यों को नजर अंदाज कर विधि की अवहेलना में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

3. ग्राम खोपड़ा तहसील नोहर में हरिजन मौहल्ला में कोई सार्वजनिक चौगान नही है ना ही पंचायत के रिकार्ड में ऐसा कोई चौगान दर्ज नही है तथा सन 1990 से लेकर आज तक यानि 28–29 साल पुराना पटटा भूमि जिस पर प्रार्थी रिहायश करता आ रहा है तथा धार्मिक आस्था व शान्ति भंग होने का तथ्य निराधार है।

4. अप्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में जो तथ्य दर्ज किया है उसमें दिनांक 26.08.87 को पटटा बनाने की कार्यवाही व दिनांक 11.09.90 को तीन वर्ष बाद प्रार्थी के पक्ष में पटटा बनाने की कार्यवाही की प्रकिया को अप्रार्थीगण ने स्वीकार किया है तथा उक्त पटटे शुद्वा भूखण्ड का पुराना निर्माण है तथा मय परिवाद के प्रार्थी आबाद है तथा प्रार्थी के पक्ष में पटटा विधिवत तौर से ग्राम पंचायत मेघाना द्वारा जारी किया गया है तथा उपरोक्त पटटा के संबंध में सन 1990 से लेकर जब आज तक धार्मिक भावना व आस्था आहत नही हुई तथा ना ही शांति भंग हुई यानि 28–29 वर्ष पुराने पटटा शुद्वा भूखण्ड में प्रार्थी आजतक मय परिवार के रिहायश करता आ रहा है। धार्मिक आस्था व शान्ति भंग होने का तथ्य मिथ्या व बनावटी है तथा अप्रार्थीगण को पटटा निरस्त करवाने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है।

5. प्रार्थी के पक्ष में पटटा स0 20 ग्राम पंचायत मेघाना द्वारा जारी किया गया है तथा अप्रार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम खोपड़ा के प्रतिनिधि की हैसियत से अपील प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नही थे तथा विवदित चौक सार्वजनिक चौगान नही है ना ही उक्त जगह का कभी सार्वजनिक हितार्थ या लाभार्थ कार्यों में उपयोग व उपभोग में रहा है ना ही उक्त कार्यों के लिए उपयोग व उपभोग में आने के काबिल है और ना ही धार्मिक और राजनैतिक उत्सव होते है तथा कथित चौगान सार्वजनिक चौगान नही है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/3

ायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर नम्बरी दीवानी वाद स0 82/2014 नम्बर 88/2014 बअनवानी भैराराम आदि बनाम लाधुराम आदि वाद पत्र बाबत आदेशात्मक अनुतोष एवं स्थाई निषेधाज्ञाका निर्णय दिनांक 19.05.2017 को हो चुका है जो हस्तगत अपील में वर्णित बिन्दु उपरोक्त सिविल कोर्ट द्वारा तैय करके प्रार्थी के पक्ष में पटटा स0 20 दिनांक 11.02.90 को वैध व प्रभावशील माना है तथा सार्वजनिक चौक या चौगान की कोई भूमि होना साबित नही होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्व निर्णय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर के वाद स0 82/014 निर्णय दिनांक 19.05.17 की अवहेलना में पारित किया गया है, इसी आधार पर प्रथम दृष्टया ही अपास्तनीय है एवं सिविल कोर्ट में निजाम खां उम्र 52 वर्ष ग्राम पंचायत खोपड़ा के पंचायत ग्राम सेवक व पदेन सचिव के पद पर कार्यरत के ब्यान सशपथ करवाऐ जिसमें उन्होने स्वीकार किया कि दिनांक 27.01.12 को विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर द्वारा लाधुराम के प्लाट की निशान देही कराने के आदेश दिया जिसकी अनुपालना में दिनांक 16.02.12 को पुलिस जाब्ता साथ लेकर ग्राम प्रसार अधिकारी भूराराम स्वामी की देखरेख में तत्कालीन सचिव ने निशानदेही की कार्यवाही की थी जिसमें पुलिस इमदाद से प्रार्थी लाधुराम को देकर पटटा शुदा भूखण्ड का कब्जा सौंपा था ।

7. सिविल न्यायालय में निकुराम के पुत्र हिराराम द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था हस्तगत प्रकरण में निकुराम के दुसरे पुत्र ओमप्रकाश ने राजनैतिक रंजिश वंश से अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी तथा सिविल कोर्ट के वादीगण अप्रार्थीगण के रिश्तेदार व परिवार के सदस्य है। तथा उनकी तरफ से जिसने सिवल कोर्ट में मुकदमा हार जाने पर तैश में आकर अपनी हार छुपाने के लिए झुठे तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय में अपील पेश की थी तथा जो की 29 वर्ष बाद पेश की थी जिसमें मियाद का कोई ठोस व सन्तोषजनक आधार नही लिया इसी बिन्दु पर अपील खारीज योग्य थी। परन्तु मातहत अदालत उपरोक्त कानुनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

8. वरिष्ठ न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर के प्रकरण स0 82/2014 बअनवानी भैराराम आदि बनाम लाधुराम आदि निर्णय दिनांक 19.05.2017 में प्रार्थी के पक्ष जारी पटटा वैध माना है। उक्त पटटा के सिविल वैध्य माने जाने के बाद अप्रार्थी स0 4 को कोई अधिकार नही था कि जो पटटा सिविल कोर्ट ने वैध माना उसको खारीज करने का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

क्षेत्राधिकार हासिल नही था मातहत अदालत ने उपरोक्त सिविल न्यायालय के निर्णय की अवहेलना में निगरानीधीन निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

अतः निगरानी प्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 10.01.2018 अपील स0 01/2012 प्रविष्ठि दिनांक 02.02.2012 बअनवानी ओमप्रकाश आदि बनाम लाधुराम आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर को अपास्त फरमाया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निगरानी मिमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सार्वजनिक जगह का कोई पटटा नही बना और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के पास था फिर भी मातहत अदालत ने सार्वजनिक चौक की जगह का हवाला देकर प्रार्थी का रिहायशी भूखण्ड जो प्रार्थी के पक्ष में पटटा था जो कंतई गलत तौर से खारीज किया है। उक्त पटटा पंचायत द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विधि सम्मत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उक्त पटटा जारी किया गया है तथा ग्राम खोपड़ा के हरजिन मोहल्ला में कोई सार्वजनिक चौगान नही है एव ना ही इसका कोई पटटा है और ना ही पंचायत के रिकार्ड में ऐसा कोई चौगान दर्ज है। प्रार्थी सन् 1990 से लेकर आज तक उक्त भूखण्ड में रिहायश करता आ रहा है, प्रार्थी के पक्ष में पटटा विधिवत तौर से ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में विवादित चौगान का पटटा अप्रार्थीगण ने पेश नही किया जिससे उक्त भूमि सार्वजनिक चौगान की होनी नही पाई जाती है। सिविल कोर्ट के निर्णय से पूर्णतया साबित होता है कि सार्वजनिक चौगान की भूमि नही होकर प्रार्थी का रिहायशी भूखण्ड है तथा सिविल कोर्ट का निर्णय माना जाना कानूनी तौर पर आवश्यक है। इसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा RBJ 2017 पेज न0 611 स्टेट बनाम सुन्दरलाल प्रकरण का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। अतः निगरानी स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया की उक्त जगह गांव के हरिजन मोहल्ले में जिसका उपयोग ग्रामवासी गत 50 वर्षो से आम सभा करने तथा पशुधन ट्रेक्टर आदि खड़े करने व शादी विवाह आदि हेतु उपयोग करते आ रहे है। गावं खोपड़ा में हरजिन मोहल्ला में स्थित सार्वजनिक चौक का ग्रावमवासी बहुत लम्बे समय से बिना किसी बाधा के लगातार लगातार शान्ति पूर्वक सार्वजनिक चौक के रूप में सभाएं करने एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पशुधन व वाहन खड़े करते आ रहे है। उक्त जगह सार्वजनिक चौगान की है। पंचायत द्वारा जारी किया गया पटटा विधिविरूद्ध है। पटटा अवैध होने के कारण खारीज योग्य है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत समिति प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा निर्णय पारित करते समय उपरोक्त तथ्यों को नजरअदांज किया है जो उचित नही है। अतः पंचायत समिति प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत नही मानते हुए खारीज किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

यह निर्णय आज दिनांक : 25.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

(गुंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)